कार्यालय, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय सोसाइटी, एटा, उ0प्र0

ईमेल–gmcetah@gmail.com

पत्र संख्या: मे0का0एटा / 2022 / 475 दिनाँकः 17 मई, 2022

// विज्ञप्ति//

संविदा के आधार आचार्य, सह–आचार्य, सहायक आचार्य, के पदों पर सेवायोजन हेतु

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एटा के विभिन्न विभागों में संविदा के आधार पर आचार्य, सह–आचार्य, सहायक आचार्य, के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु वॉक–इन इण्टरव्यू (Walk in Interview) के माध्यम से साक्षात्कार दिनांक 24.05.2022 दिन मंगलवार से सप्ताह में 03 दिवसो में प्रत्येक मंगलवार, गुरूवार एवं शनिवार को समय प्रातः 10:00 बजे से प्रधानाचार्य कार्यालय, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एटा में रिक्त पदों के भरे जाने तक आयोजित किया जायेगा।

विस्तृत विवरण स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय एटा की बेवसाइट www.asmcetah.org पर उपलब्ध है।

संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु आचार्य, सह–आचार्य, सहायक आचार्य के रिक्त पदों का विवरण

क्र0सं0	विशिष्टता	आचार्य		सह–आचार्य		सहायक आचार्य	
		पदों की संख्या	श्रेणी	पदों की संख्या	श्रेणी	पदों की संख्या	श्रेणी
1	आर्थोपैडिक्स	-	-	01	SC	-	-
2	आप्थलमोलॉजी	-	-	-	-	-	-
3	आब्सट्रेटिक्स एण्ड गायनकोलॉजी	01	SC	01	UR	01	OBC
4	इमरजेन्सी मेडिसिन	-	-	01	OBC	01	UR
5	एनॉटोमी	-	-	-	-	01	SC
6	एनेस्थीसियोलॉजी	-	-	01	SC	01	OBC
7	ओटो–राइनो–लैरिंगोलॉजी	-	-	-	-	01	OBC
8	कम्युनिटी मेडिसिन	-	-	-	-	01	EWS
9	जनरल मेडिसिन	01	OBC	01	OBC	01	UR
				01	UR	01	SC
						01	OBC
10	जनरल सर्जरी	-	-	01	EWS	01	SC
				01	OBC	01	UR
11	ट्यूबरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरेटरी मेडिसिन / पल्मोनरी मेडिसिन	-	-	01	SC	-	-
12	डर्मेटोलॉजी बेनेरोलॉजी एण्ड लेप्रोसी	-	-	01	UR	-	-
13	पीडियाट्रिक्स	-	-	01	OBC	-	-
14	फार्माकोलॉजी	-	-	01	SC	-	-
13	फिजियोलॉजी	01	SC	-	-	01	OBC
						01	EWS
15	फोरेन्सिक मेडिसिन	-	-	-	-	01	SC
16	बायोकेमिस्ट्री	01	UR	01	OBC	01	OBC
17	रेडियो–डायग्नोसिस	-	-	01	OBC	01	SC
18	साइकियाट्री	-	-	01	EWS	-	-
	योगः–	04	-	15	-	16	-

नोटः– एल0ओ0पी0 / वी0सी0 में दिये गये निर्देशों के दृष्टिगत विज्ञापित श्रेणी के सापेक्ष अन्य किसी भी श्रेणी के अभ्यर्थी के चयन की संस्तुति वाँछित श्रेणी का अभ्यर्थी मिलने तक की जायेगी।

—: संविदा पर चिकित्सा शिक्षकों की नियुक्ति की शर्ते निम्नवत हैं:—

संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यो का नियत वेतन रू0 1,35,000/—प्रति माह, सह—आचार्यो का नियत वेतन रू0 1,20,000/—प्रति माह, तथा सहायक आचार्य का नियत वेतन रू0 90,000/—प्रतिमाह (शासनादेश संख्या—104/2019/5044/71—1— 2018—जी—63/2018 दिनांक 21 नवम्बर, 2019 के अनुसार) एवं समय—समय पर निर्गत शासनादेशनुसार वेतन देय होगा।

2. उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमन्य नहीं होगें।
3. पदों की संख्या घट—बढ सकती हैं।
4. मेडिकल कॉलेज से सेवानिवृत्ति आचार्य को शासनादेश संख्या —250/2018/4067/71—1—2017—जी—63/2008 दिनांक 02 सितम्बर, 2018 द्वारा निर्गत शर्तो के अनुसार वेतन प्रदान किया जायेगा।
5. संविदा शिक्षकों की शैक्षिक अर्हतायें, अनुभव, नियम एवं शर्ते—एन०एम०सी०/एम०सी०आई० मानकों के अनुरूप एवं समय—समय पर जारी शासनादेशों/नियमों के अनुसार एवं उ०प्र० राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की संवा (पंचम संशोधन) नियमावली, 2018 में निहित व्यवस्था के अनुसार होंगी।
6. इन पदों पर वाक—इन—इण्टरव्यू **(Walk-in-Interview)** पद्धति से कालेज स्तर से प्रधानाचार्य/चयन समिति की संस्तुति के आधार पर शासन /महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ के स्तर से चयन किया जाना हैं। संविदा पदों पर अन्तिम चयन की प्रकिया शासन/महाविद्यालय के द्वारा की जानी हैं।
7. चिकित्सा शिक्षकों के पदों पर संविदा के आधार पर नियुक्ति हेतु शासनादेश संख्या—562/71—1—2020—जी0—63/2008 दिनांक 10 जून, 2020 के अनुसार जुलाई के प्रथम दिवस को अधिकतम आयु सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह—आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
8. अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों एवं शैक्षिक/जाति/अनुभव/शोध/आधार कार्ड/पैन कार्ड पत्रों की (स्व—प्रमाणित) छायाप्रतियों के 01 सेट बायोडाटा एवं 01 पासपोर्ट फोटो सहित साक्षात्कार स्थल पर उपस्थित हों।
9. नियमानुसार आरक्षण लागू होगा एवं समय—समय पर आरक्षण हेतु जारी शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। आरक्षित श्रेणी का अभ्यर्थी न मिलने की दशा में अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को संविदा पर आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी मिलने तक नियुक्त किया जा सकता हैं।
10. ओ०पी०डीके दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगें।
11. प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राईवेट प्रैक्टिस करने का स्थान निर्दिष्ट करना होगा। प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कॉलेज एवं सम्बद्ध चिकित्सालय में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा डयूटी उपलब्ध रहना होगा।
12. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल 01 वर्ष का होगा। एक वर्ष की सन्तोषजनक सेवा के पश्चात नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इनकी सन्तोषजनक सेवा के आधार पर सेवाकाल पुनः साक्षात्कार के उपरान्त बढाया जा सकेगा।
13. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें नियमित नियुक्ति के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी समापत की जा सकती हैं।
14. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को करार के 15 दिवस के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण करने की सूचना शासन तथा महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र० लखनऊ को तत्काल भेजी जायेगी।
15. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं का हकदार नहीं होगा एवं उसे कोई बोनस देय नहीं होगा।
16. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक शासकीय सेवा में विनियमितीकरण के लिए हकदार नहीं होगा।
17. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ पत्र प्रस्तुत करेगें कि "उनके विरूद्ध माननीय न्यायालय मे कोई अपराधिक वाद प्रचलित नहीं हैं और यदि उनके विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाया जाता हैं तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेगी"।
18. कार्यभार ग्रहण करते समय अभ्यर्थी इस आशय का घोषणा/शपथ—पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे अन्यत्र कार्यरत नहीं हैं।

नोट— साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

प्रधानाचार्य
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय
सोसाइटी एटा